कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक : 4048 /12–1 देहरादून, दिनांक 14 जून, 2022.

सेवा में,

निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः– प्रस्ताव संख्या– FP/UK/REHAB/40824/2019 जनपद–देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर कोरिडोर की पुर्नस्थापना हेतु खाण्डगांव–3 के परिवारों को विस्थापित कर लालपानी कक्ष सं0–2 में बसाने हेतु 2.40 है (1.8850 है0 विस्थापन हेतु एवं 0.515 है0 अन्य सुविधाओं हेतु प्रत्यावर्तन) वन भूमि का राजाजी राष्ट्रीय पार्क को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून का पत्रांक सं0– 8बी/यू.सी.पी./09/193/2019/एफ.सी./81 दिनांक–20.04.2021, आपका पत्रांक–986/12–21 दिनांक–06.09.2021 तथा इस कार्यालय का पत्रांक–4926/12–1 दि0–1.06.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव के क्रम में उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वाँछित धनराशि आपके द्वारा बैंक ड्राफ्ट/चैक/अन्य माध्यम से निर्दिष्ट कोष में जमा की जानी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसार देय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार दर्शित है :–

मद	क्षेत्रफल (है0 में)	घनत्व	ईको क्लास	दर प्रति वृक्ष/है0	धनराशि (रू0 में)
B: प्रत्यावर्तन हेतु 0.515 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में शर्त संख्या–2 (क) के अनुसार– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1.03 है0 में 1030 पौधों का रोपण एवं 10 वर्षों का रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा की जायेगी।	1.03	0.2	I	क्षतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षो की दर हेतु प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड के पत्रांक–1459/3–5–2 दिनांक–01.07.2021 के अनुसार निर्धारित 407992.00 रू0/है0	4,20,232.00
शर्त संख्या–3 (क) के अनुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के File No.5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक–06.01.2022 द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि वर्तमान प्रचलित नई दरों के अनुसार	0.515	0.2	I	1116900.00	5,75,204.00

कार्यालय नि0 रा0 टा0 रि0
पंजिका क्रमांक 12349
पत्रावली संख्या 12-1
दिनांक 5/6/22
[illegible] आ0 का0 करें
संख्या देवें।

B: प्रत्यावर्तन हेतु 0.515 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में:

शर्त संख्या– 1– के अनुसार– वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।

शर्त संख्या–2– प्रतिपूरक वनीकरण (क) प्रयोक्त अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1030 पौधों का रोपण कार्यक्रम किया जाएगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.03 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।

शर्त संख्या–3 (क) के अनुसार– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल)/202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–1/1998–FC दिनांक–18.09.2003, 5–2/2006–FC दिनांक–03.10.2006 एवं 5–3/2007–FC दिनांक–05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 निर्धारित राशि जमा की जाएगी।

शर्त संख्या–3 (ख) के अनुसार– विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। **प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।**

शर्त संख्या–5 के अनुसार– परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोटल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किया जायेगा।

इस कार्यलय द्वारा उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपडेट करने हेतु डिमाड नोट भेजा गया था, परन्तु आपके द्वारा धनराशि आतिथि तक वांछित धनराशि परिवेश पोर्टल पर जमा नही की गयी है और आपके द्वारा प्रस्ताव के सम्बन्ध कोई प्रत्युत्तर नही दिया गया है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से पत्र द्वारा सूचित करे, कि प्रस्ताव को भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार से विधिवत स्वीकृति हेतु भेजा जाना है अथवा नही।

आपके पत्रांक–986/12–21 दिनांक–06.09.2021 के क्रम में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या–2(ख) एवं 4 में आप द्वारा इस वन प्रभाग से मांगी गयी वांछित सूचना का बिन्दुवार विवरण निम्न प्रकार प्रेषित है।

1. शर्त संख्या–2(ख) के अनुपालान में 0.515 हे0 (अन्य सुविधाओं हेतु प्रत्यावर्तन हेतु) के बदले प्रस्तावित परियोजना के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं कोर्डिनेटस अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र की सूचना 04 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–1)**
2. शर्त संख्या–4 के अनुपालान में प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखते हुए प्रस्ताव के अनुसार प्रभावित होने वाले पातित 72 वृक्षों की सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–2)**

अतः उक्तानुसार अपेक्षित धनराशि जमा कराने के उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपडेट करते हुए उक्त की एक प्रति यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके। आपके निर्णय के उपरान्त ही उच्च स्तर को अग्रेतर कार्यवाही हेतु उचित जानकारी दी जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांकः– 4048/12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून को उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः–वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।